पूर्ण बेंच

सिविल विविध

न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया, न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन और न्यायमूर्ति एएस बैंस के समक्ष

भूप सिंह - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल अपने सचिव आदि के माध्यम से।

1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 6426

30 सितंबर, 1976।

बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इलेक्शन रूल्स 1968- *नियम 3 (के), 28, 33* और *34 (8)* - भारत का संविधान *1950* - **अनुच्छेद** 226- *एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव - एकल वैधानिक नियम का उल्लंघन - चाहे पूरे चुनाव को अमान्य करता हो - किसी उम्मीदवार की पहली वरीयता वाले मतपत्र चोरी हो गए। (ख) ऐसी घोषणा- चाहे वह नियम 3(के) के अनुसार हो - यह स्थापित करने का प्रश्न कि ऐसे चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है - क्या संभव हो - ऐसी अवधारणा - क्या नियम* 34 *में पढ़ा जाना चाहिए - असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के तहत विवेकाधीन राहत - जब दावा किया जा सकता है - 'प्रकट अन्याय'- चुनावी संदर्भ में क्या होता है।*

यह माना गया कि भ्रष्ट आचरण के कारण, नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति, उम्मीदवार में पर्याप्त कानूनी योग्यता की कमी या मतदाता सूची में कार्य त्रुटियों जैसी बुनियादी कमजोरियों के मामले में ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव को शून्य घोषित किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि ये ऐसे मामले हैं जो या तो चुनाव प्रक्रिया की जड़ तक जाते हैं या नैतिक पतन से जुड़े कार्यों के कारण इसकी पवित्रता को शामिल करते हैं। इसलिए, ऐसे मामलों में परिणाम पर इसके प्रभाव के संदर्भ के बिना पूरे चुनाव को शून्य कर दिया जाता है। दूसरी ओर, जहां तक अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियम का पालन न करने का संबंध है,

सिद्धांत यह है कि चुनाव याचिकाकर्ता को यह दिखाना चाहिए कि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। यह न केवल सांविधिक उपबंध के उल्लंघन पर लागू होता है, बल्कि देश के सर्वोच्च कानून अर्थात् संविधान के उल्लंघन पर भी लागू होता है। पंजाब और हरियाणा चुनाव विधि, 1968 के बार काउंसिल के नियम 34 के उप-खंड (8) की भाषा से भी इसी तरह का और वास्तव में एक समान परिणाम सामने आता है। उसमें प्रयुक्त शब्दों से स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं का इरादा यह था कि एक बार चुनाव होने के बाद नियम 34 (1) के तहत नियमित याचिका के दौरान भी रद्द नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि कथित त्रुटि या अनियमितता पर्याप्त प्रकृति की न हो। नियमों के तहत कानून का जनादेश यह है कि हर अनियमितता या त्रुटि को इतने ऊंचे पायदान पर नहीं उठाया जाना चाहिए कि उसका केवल तकनीकी उल्लंघन पूरे चुनाव को अमान्य कर देगा। यह केवल ऐसी त्रुटियां या अनियमितताएं हैं जो पर्याप्त प्रकृति की हैं जो इस तरह के परिणाम का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार एक वैधानिक नियम का हर अलग-थलग उल्लंघन *वास्तव में* पूरे चुनाव को शून्य नहीं करता है।

(पैरा 20 और 29)

माना जाता है कि 'मिटा देना' शब्द का अर्थ 'मिटाना या मिटाना है, मिटाना है; लेखन के रूप में अस्पष्ट प्रस्तुत करना'। इससे यह स्पष्ट है कि नियमों के नियम 3 (के) के खंड (सी) में 'ओबलिटरेशन' शब्द का उपयोग एक विशेष संदर्भ में किया गया है और इसके पहले "इफेसिमेंट" और "इरेज़र" शब्द हैं। जाहिर है कि एक शब्द अपना रंग या अर्थ उस संदर्भ से भी लेता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है और *एजुस्डेम जेनेरिस* का सिद्धांत आकर्षित होता है। खंड (ग) को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह किसी वस्तु की चोरी या हानि को कवर नहीं कर सकता है। इसके अलावा, खंड (सी) को उप-नियम (के) के शुरुआती भाग की निरंतरता में पढ़ा जाना है। इसका अर्थ यह है कि 'जिस पर' शब्द यह स्पष्ट करता है कि यह प्रावधान निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मतदान पत्रों की उपस्थिति की कल्पना करता है और यह अकेला है कि उप-खंड (सी) या उप-खंड (ए) और (बी) के बाकी प्रावधान लागू होंगे। यदि बहुत मतपत्र गायब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर किसी भी पुनरावृत्ति का पता

लगाया जा सके। इसी तरह इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द 'ऐसा' पुनरावृत्ति की गुणवत्ता और प्रकृति को संदर्भित करता है जिसे केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है जब संबंधित मतपत्र जांच और निर्णय के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हो। इसलिए, मतपत्र के खोने या चोरी होने के मामले को खंड (सी) में पुनरावृत्ति शब्द के भीतर या नियम 3 (के) की परिभाषा में किसी अन्य खंड या शब्दों को लाना संभव नहीं है। इस प्रकार खोए हुए या चोरी हुए मतपत्रों को कानून की सख्त नजर में नियमों के नियम 3 (के) के तहत 'थके हुए कागजात' के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे स्पष्ट रूप से और सख्ती से निर्धारित परिभाषा के भीतर नहीं आते हैं।

(पैरा 17 और 18)

यह माना जाता है कि कानून न केवल कल्पना करता है, बल्कि वास्तव में यह दिखाने का बोझ प्रदान करता है कि चुनाव परिणाम उन मामलों में भी भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है जहां इसे एकल हस्तांतरणीय वोट के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया गया है। इस प्रकार यह दिखाना संभव है कि एकल हस्तांतरणीय वोट के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है और अनिवार्य रूप से इस तरह के चुनाव की अमान्यता की मांग करने वाले व्यक्ति पर इस तरह के प्रमाण का बोझ डालना है।

(पैरा 22)।

नियमों का नियम 34, जो चुनावों की वैधता के संबंध में विवादों के संबंध में विस्तृत है, यह दर्शाता है कि किसानों ने इस नियम को शामिल करने का विकल्प नहीं चुना कि वैधानिक नियम के उल्लंघन के आधार पर चुनाव को रद्द नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसका परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित न हो। बार काउंसिल नियमों के अधिकांश प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत बनाए गए चुनाव संचालन नियम, 1961 के भाग VII के संगत प्रावधानों से शब्दशः प्राप्त किए गए हैं। नियमों के निर्माताओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए सांविधिक नियमों के बारे में पूरी तरह से पता था, जहां से उन्होंने न केवल मूल

भावना प्राप्त की है, बल्कि कानून के अक्षर को भी प्राप्त किया है और इसे अपने लिए अधिनियमित किया है। फिर भी, ऐसी स्थिति में भी लेखकों ने नियम 34 के तहत चुनाव विवादों के निर्णय का प्रावधान करते समय चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित करने के नियम को शामिल नहीं किया। इसलिए इन नियमों के भीतर इसकी सख्त कठोरता के संदर्भ में उस प्रावधान को आयात करना मुश्किल है, क्योंकि इसे जानबूझकर या अनपेक्षित रूप से बाहर रखा गया है। इस प्रकार बार काउंसिल के नियमों में इस नियम की सख्त कठोरता को स्पष्ट शब्दों में आयात करना संभव नहीं है कि किसी नियम का उल्लंघन किसी चुनाव को अमान्य नहीं करना है जब तक कि यह परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित न करे।

(पैरा 24)।

यह माना गया कि असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के तहत विवेकाधीन राहत को कानून के प्रत्येक तकनीकी और असंगत उल्लंघन के लिए अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में याचिकाकर्ता को खुद को रिट देने का अधिकार देने के लिए यह दिखाना होगा कि उसने जो कार्रवाई की है, उससे उसके साथ स्पष्ट अन्याय हुआ है। 'प्रकट अन्याय' शब्द को सटीक परिभाषा के स्ट्रेट जैकेट में नहीं डाला जा सकता है और इसे उस संदर्भ से अपना रंग लेना चाहिए जिसमें अन्याय उत्पन्न होने का आरोप लगाया गया है। चुनावी संदर्भ में प्रकट अन्याय का अर्थ है मताधिकार के अधिकार की ऐसी विफलता या निषेध जिसने अनिवार्य रूप से चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जब तक कोई असाधारण मामला नहीं बनता है जो नैतिक पतन से जुड़े मामले की जड़ तक जाता है, तब तक चुनावी मामले में रिट सामान्य रूप से केवल तभी जारी की जाएगी जब यह स्थापित किया जा सके कि कथित नियम के उल्लंघन ने आवश्यक रूप से चुनौती दिए गए परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है। कानून के पत्र का हर तकनीकी उल्लंघन या प्रक्रियात्मक नियम का उल्लंघन याचिकाकर्ता को रिट अधिकार क्षेत्र के तहत विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं होगा। इसलिए, चुनावी संदर्भ में प्रकट अन्याय का मतलब इससे कम या ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि चुनौती दिए गए परिणाम काफी हद तक प्रभावित हुए हैं।

(पैरा 26)।

भूप सिंह *बनाम* पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल अपने सचिव आदि के माध्यम से (एस. एस. संधावालिया, जे.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका *में प्रार्थना की गई है कि:*

(अ) *उन्होंने लागत के साथ रिट याचिका की अनुमति दी।*

(आ) *21 अक्तूबर, 1975 को* घोषित पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव के परिणाम को रद्द करने के लिए उन्होंने 21 अक्तूबर, *1975 को जारी की गई रिट या निषेध की प्रकृति की रिट जारी की*। अनुलग्नक पी -1 और पुनर्मतदान का आदेश दिया जाए।

(इ) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश, जो यह माननीय न्यायालय 21 अक्टूबर, *1975 को* घोषित पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव के परिणाम को अनुबंध *पी -1 के* माध्यम से रद्द करने के लिए उचित समझे, *जारी किया जाए और पुनर्मतदान का आदेश दिया जाए।*

(ई) *प्रतिवादियों को प्रस्ताव के अपेक्षित नोटिस जारी करने से कृपया छूट दी जाए।*

यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, निर्वाचित प्रतिवादी संख्या 1000/2011 3 से 22 तक *को शपथ लेने और कार्यालय में प्रवेश करने से रोका जाए, और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाई जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से *भागीरथ दास एडवोकेट (ज्ञान सिंह, एसएम अशरी, लक्ष्मण शर्मा और विनोद शर्मा, उनके साथ वकील)।*

पी. एस. जैन एडवोकेट के साथ सी. बी. गोयल, प्रतिवादी *नंबर 1 के वकील* 1, 2 *और* 21।

मोहिंदरजीत सिंह सेठी एडवोकेट, प्रतिवादी *नंबर 1 के लिए* 8 *और* 19।

कुलदीप सिंह एडवोकेट, *प्रतिवादी नंबर 1 के लिए।* 16 और 17।

एस. पी. गुप्ता, अधिवक्ता, *प्रतिवादी नं.* 7 व्यक्तिगत रूप से ।

आ. एस. गुप्ता, अधिवक्ता, *प्रतिवादी सं.* 13 *व्यक्तिगत रूप से।*

एम. एल. सरीन, अधिवक्ता, *प्रतिवादी नं.* 22 *व्यक्तिगत रूप से।*

ल्. एस. संघा एडवोकेट, प्रतिवादी *संख्या 10के लिए।* 5.

ई. वी. सहगल एडवोकेट, प्रतिवादी *संख्या 10 के लिए।* 3.

ऋ. प्रतिवादी संख्या 10 की ओर *से आर. मजीठिया एडवोकेट।* 4.

निर्णय

न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया, (1) क्या पंजाब और हरियाणा चुनाव नियम, 1968 के एकल सांविधिक नियम यानी नियम 3 (के) का उल्लंघन एक बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित पूरे चुनाव को अमान्य कर देगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित किया जाना है।

(2) मुख्य तथ्य विवाद में नहीं हैं और यह केवल सीमांत मामलों पर है कि पक्ष कुछ भिन्न हैं। इसलिए, पहले उन तथ्यों पर स्वीकृत स्थिति पर ध्यान देना पर्याप्त है जिनके आधार पर प्राथमिक तर्कों को संबोधित किया गया है।

(3)चंडीगढ़ में एक वकील और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य भूप सिंह याचिकाकर्ता पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार थे। उक्त परिषद का गठन 20 सदस्यों से किया गया है। चुनाव की विधि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इलेक्शन रूल्स, 1968 (इसके बाद नियमों के रूप में

संदर्भित) के अनुसार तैयार की गई मतदाता सूची में मतदाताओं के बीच से एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा है। आवश्यक प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार मतदान 28 जुलाई को चंडीगढ़ में और बाद में 30 जुलाई, 1975 को विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया था। बार काउंसिल के सचिव प्रतिवादी नंबर 2 को चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वोटों की गिनती 9 अगस्त, 1975 को चंडीगढ़ में बार काउंसिल के कार्यालय में सुबह 10.00 बजे शुरू हुई थी। रिटर्निंग अधिकारी ने नियम 26 के उप-खंड (ए) का पालन करने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग पार्सल में मतदान पत्रों की व्यवस्था की, उस पर दर्ज पहली वरीयताओं के अनुसार और उसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार को अपने संबंधित पार्सल में कागजात के मूल्य के साथ क्रेडिट किया। चुनाव में एक उम्मीदवार, श्री जगदेव शर्मा ने 47 प्रथम वरीयता के वोट हासिल किए, जबकि इसी प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को मूल रूप से 57 प्रथम वरीयता के वोट प्राप्त करने के लिए पाया गया था, हालांकि बाद में यह आंकड़ा 64 तक सही हो गया था। प्रथम वरीयता के मतों के सभी पार्सलों को छांटने और व्यवस्थित करने की यह प्रक्रिया अभी जारी थी, मतगणना हॉल के बाहर से कोई व्यक्ति पांच मतपत्र लेकर आया, जिन्हें उसने मतगणना हॉल के बाहर से उठाया था और उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किया। इन सभी मतपत्रों में जगदेव शर्मा के पक्ष में पहली वरीयता थी। इसके बाद पता चला कि जगदेव शर्मा के पक्ष में प्रथम वरीयता के मतों वाला पार्सल उन सभी मतपत्रों के साथ गायब था, जो पहले उनके पक्ष में दर्ज किए गए थे। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने मतगणना हॉल में मौजूद उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को इस तथ्य के बारे में सूचित किया और यह पहले से ही रात 10.00 बजे से ही यह तय किया गया था कि मामले को अगले दिन उठाया जाएगा। मतपत्रों की चोरी के संबंध में पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी- लेकिन यह आम मामला है कि अमूर्त मतपत्रों का कभी पता नहीं लगाया गया था और

न ही जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की गई थी। 10 अगस्त, 1975 को निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना बंद करने और मामले को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल को भेजने का निर्णय लिया। में। इस बीच पार्सल आदि सहित चुनाव सामग्री सभी को माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से उच्च न्यायालय के स्ट्रांग रूम में रखा गया था। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा (प्रतिवादी नंबर 1) ने फैसला किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ना चाहिए। तथापि, हरियाणा के तत्कालीन महाधिवक्ता श्री जेएन कौशल की चंडीगढ़ से अनुपस्थिति के कारण मतगणना ढाई महीने बाद अर्थात 25 अक्तूबर, 1975 को ही पुन शुरू की जा सकी। मतगणना की तारीख 19 अक्टूबर, 1975 को दैनिक ट्रिब्यून में विधिवत प्रकाशित की गई थी और सभी 64 उम्मीदवारों को तारीख की सूचना भी भेजी गई थी। उपरोक्त तारीख पर मतगणना फिर से शुरू होने पर, याचिकाकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से उपस्थित नहीं था, लेकिन यह स्वीकार किया गया मामला है कि श्री जेएन कौशल, महाधिवक्ता, हरियाणा और कई अन्य उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने इसमें भाग लिया।

(4) मतगणना की प्रक्रिया में, श्री जगदेव शर्मा को 18 वीं गिनती में हटा दिया गया और उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने श्री जगदेव शर्मा के पक्ष में चोरी किए गए 42 वोटों को नियमों के नियम 3 (के) के तहत समाप्त वोट मानने के अपने निर्णय की घोषणा की। प्रतिवादी बार काउंसिल का मामला यह है कि उस समय उपस्थित किसी भी उम्मीदवार या उनके एजेंटों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और उसके बाद मतगणना आगे बढ़ी और 26 अक्टूबर, 1975 तक जारी रही, जिस तारीख को याचिकाकर्ता भी शाम 5.30 बजे उपस्थित होने के लिए आया था। 27 अक्तूबर, 1975 की सुबह के शुरुआती घंटों में ही परिणाम पूरा हो गया था और इस प्रकार निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई थी और निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 33 के

अनुसार सत्यापन और बाद में राजपत्र में प्रकाशन के लिए महाधिवक्ता, हरियाणा को प्रस्तुत किया गया था। बीस उम्मीदवारों, अर्थात्, उत्तरदाता संख्या 3 से 22 को निर्वाचित घोषित किया गया। याचिकाकर्ता सफल उम्मीदवारों में से एक नहीं था।

(5) यह सामान्य मामला है कि 42 मतपत्रों के खो जाने और उन्हें समाप्त हो चुके पत्रों के रूप में घोषित किए जाने के कारण, उन मतपत्रों के संबंध में दूसरी या बाद की प्राथमिकताओं, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया और वास्तव में उन पर विचार नहीं किया जा सका। नतीजतन, श्री जगदेव शर्मा के निष्कासन के बाद शेष 52 उम्मीदवारों के संबंध में, उन वोटों में दूसरी और बाद की प्राथमिकताओं को अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया था।

(6) अब, याचिकाकर्ता के मामले का मूल यह है कि निर्वाचन अधिकारी के पास नियमों के नियम 3 (के) के तहत श्री जगदेव शर्मा के खोए हुए 42 मतपत्रों को 'समाप्त कागजात' घोषित करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह आरोप लगाया गया है कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल का कोई भी वैधानिक नियम या निर्देश निर्वाचन अधिकारी को खोए हुए और चोरी हुए मतपत्रों को समाप्त होने के रूप में मानने के लिए अधिकृत नहीं करता है और ऐसा करने का निर्णय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था और यह न्याय का घोर उल्लंघन है। नतीजतन उनका दावा यह है कि मतपत्रों की चोरी का पता चलने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास मतगणना जारी रखने की कोई शक्ति नहीं थी और उनके पास पुनर्मतदान का आदेश देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। संक्षेप में इस रिट याचिका में वह इसी राहत का दावा करते हैं।

(7) इसके विपरीत, प्रतिवादी (नंबर 1) बार काउंसिल और निर्वाचित उम्मीदवारों का दृढ़ रुख यह है कि मतपत्रों के चोरी होने के मामले में कोई सकारात्मक नियम या निर्देश नहीं थे और ऐसी स्थिति में

रिटर्निंग अधिकारी ने एकमात्र उचित निर्णय लिया जो संभव था और इसलिए, कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की गई है। निर्वाचन अधिकारी के पास मतगणना की पूरी प्रक्रिया को दूषित घोषित करने या पुनर्मतदान का आदेश देने की कोई शक्ति नहीं थी। किसी भी मामले में, रुख यह है कि चुनाव के परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित होने की बात तो दूर की बात है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने उन्मूलन के समय केवल 15440 वोटों का क्रेडिट हासिल किया था और इसलिए, गणना के किसी भी खंड से संभवतः निर्वाचित नहीं किया जा सकता था।

(8) गुण-दोष पर टिप्पणी करने से पहले, शुरू में यह ध्यान देना आवश्यक है कि वर्तमान रिट याचिका की विचारणीयता का प्रतिवादियों द्वारा विभिन्न आधारों पर पुरजोर विरोध किया गया था। चूंकि मैं गुण-दोष के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहत को अस्वीकार करने के लिए इच्छुक हूं, इसलिए इन प्रारंभिक आपत्तियों पर किसी भी बड़े विस्तार से विचार करना शायद बेकार होगा। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि तर्क मुख्य रूप से नियम 34 के आसपास केंद्रित हैं, जो चुनावों की वैधता के बारे में विवादों का प्रावधान करता है। यह तर्क दिया गया था कि उपरोक्त नियम के प्रावधान चुनाव याचिकाकर्ता को एक पूर्ण और पर्याप्त उपाय प्रदान करते हैं, जिसके लिए सहारा लिया जाना चाहिए और आगे यह कि रिट कोर्ट को नियम 34 के उप-खंड (6) द्वारा चुनाव ट्रिब्यूनल को दी गई शक्तियों की तुलना में व्यापक शक्तियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

(9) मुझे बहुत संदेह है कि याचिकाकर्ता ने जिस राहत का दावा किया है, वह पूरे चुनाव को रद्द करना और पुनर्मतदान का आदेश देना नियम 34 (1) के तहत चुनाव याचिका के माध्यम से दावा किया जा सकता है या नहीं। उक्त नियम में ऐसा कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया था जो स्पष्ट शब्दों में पूरे चुनाव (व्यक्तिगत उम्मीदवारों के चुनाव के विपरीत) को रद्द करने या पुनर्मतदान का

निर्देश देने का अधिकार देता है। किसी भी मामले में यह अच्छी तरह से तय है कि एक वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व रिट जारी करने के लिए एक पूर्ण कानूनी रोक नहीं है। *शेर सिंह, बुध सिंह और अन्य* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य* (1) को इस दलील के समर्थन में उद्धृत किया गया था कि किसी दिए गए मामले में भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत देने के लिए कोई रोक नहीं होगी। (10) इस संदर्भ में इस मामले को सिद्धांत रूप में विस्तृत करना अनावश्यक है क्योंकि ऐसा लगता है कि यह मिसाल द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया है। *विश्वनाथ प्रसाद और अन्य* बनाम *रामजी प्रसाद सिन्हा और अन्य* मामले में, (2) खंडपीठ ने कहा-

> "वर्तमान मामले में, चुनाव नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पूरे चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई है, नियम 62 (जो चुनाव याचिका के लिए प्रावधान करता है) याचिकाकर्ताओं को वर्तमान आवेदन में राहत पाने से रोक नहीं सकता है और परमेश्वर महासेठ बनाम बिहार राज्य के मामले का संदर्भ दिया जा सकता **है;** (3)"

और फिर *उमाकांत सिंह और अन्य* बनाम *बिंदा चौधरी और अन्य,* (4) में टिप्पणियां इस प्रकार हैं: -

> "यह न्यायालय का अच्छी तरह से स्थापित दृष्टिकोण है कि यदि पूरे चुनाव को उन विधियों या वैधानिक नियमों के तहत आयोजित किए जाने के रूप में चुनौती दी जाती है जो अमान्य हैं या अवैधताएं करके जो पूरे चुनाव को शून्य बनाते हैं, तो इसे प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट प्रदान करके रद्द किया जा सकता है।

(1) *एजेएलके* 1965 पीबी 36 एल।

(2) ए.आई.आर. 1964 पटना, 459.

(3) A.I.R 1958 पैट 149

(4) ए.आई.आर. 1965 पैट 459

नतीजतन मेरा विचार है कि वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और दावा की गई राहत की प्रकृति के आधार पर, वर्तमान रिट याचिका की विचारणीयता के बारे में आपत्तियां अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं।

(11) अब, एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से संपत्ति प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुनाव दोनों प्रसिद्ध और अच्छी तरह से व्याप्त हैं। इस जटिल लेकिन सटीक प्रणाली की उत्पत्ति और विकास का पता लगाना शायद अनावश्यक है और यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि हमारे संविधान ने इसे अनुच्छेद 55 (3) और अनुच्छेद 66 (1) के आधार पर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए चुनाव के तरीके के रूप में भी अपनाया है। उपर्युक्त संवैधानिक अधिदेश को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 को संविधि की पुस्तक में रखा गया है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1952 प्रख्यापित की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 80(4) और अनुच्छेद 171(4) में क्रमशः राज्यों की परिषद और विधान परिषदों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से कराए जाने का प्रावधान है। इस प्रयोजन र्‌थ विस्तृत प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में निहित हैं।

(12) पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने बार काउंसिल के चुनावों के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से उपरोक्त प्रणाली को अपनाया है। पंजाब और हरियाणा चुनाव विधि, परिषद के बार काउंसिल को इस उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार किया गया है और नियम 5 में कहा गया है कि बार काउंसिल का चुनाव मतदाता सूची में मतदाताओं में से एकल हस्तांतरणीय वोट से होगा, योजना का विश्लेषण करना या इस संबंध में बनाए गए 36 नियमों के विवरण

का विज्ञापन करना अनावश्यक है और यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि इन नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 से निर्माताओं ने बहुत कुछ सीखा है और वास्तव में कई प्रावधानों के संबंध में भाषा को उपरोक्त नियमों से हटा दिया गया है और प्रावधान एक-दूसरे के अनुरूप हैं। चुनाव संचालन नियम, 1961 के भाग VII में विधानसभा सदस्यों या परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में वोटों की गिनती का प्रावधान है और इसमें निहित प्रावधान नियम 71 से 85 हैं। उदाहरण के रूप में, यह देखा जा सकता है कि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इलेक्शन रूल्स का नियम 3 व्याख्या खंड है जिसमें भौतिक भाग चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 71 में निर्धारित परिभाषाओं के समान हैं। यह स्पष्ट रूप से 'थके हुए कागज' के भौतिक प्रावधान की परिभाषा के संबंध में है। चुनाव संचालन नियम, 1961 का नियम 74 जो पार्सल में वैध मतपत्रों की व्यवस्था प्रदान करता है, यहां नियम 26 के समान है। बार काउंसिल नियमों में क्रमशः नियम 27, 28, 32, 29 और 30 के साथ चुनाव संचालन नियमों के नियम 76, 78, 77, 79 और 80 में समानता या आभासी पहचान फिर से स्पष्ट है। इस प्रकार कोई संदेह नहीं है, और वास्तव में पार्टियों के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि बार काउंसिल के चुनाव की प्रणाली भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों और राज्यों की परिषद और विधान परिषदों की सदस्यता के लिए वैधानिक नियमों द्वारा प्रदान की गई पर्याप्त या पूर्ण पहचान में है। यह समानता या पहचान, प्रासंगिक प्रावधानों और प्रणाली के बावजूद, तर्कों की प्रकृति पर एक भौतिक प्रभाव डालेगी, जिसका मूल्यांकन इसके बाद किया जाना है।

(13) पार्टियों के विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि वास्तविक

व्यवहार में इस प्रणाली के तहत वोटों की गिनती की विधि बड़ी जटिलता और जटिलता में से एक है। यह वास्तव में चुनाव संचालन नियम, 1961 की अनुसूची (नियम 83 देखें) से स्पष्ट है, जो एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली पर चुनाव में वोटों की गिनती के लिए प्रक्रिया का एक उदाहरण प्रदान करता है जब एक से अधिक सीटें भरी जानी हैं। सौभाग्य से हमारे उद्देश्यों के लिए, इस प्रणाली के तहत वोटों के मूल्य की गणना करने की जटिल विधि में बहुत गहराई से जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि पूर्ण पीठ के समक्ष मुद्दे मुख्य रूप से कानूनी हैं।

(14) अब इसके गुणों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि तीन प्रमुख कारक संदेह में नहीं हैं: -

(अ)9 अगस्त, 1975 को मतगणना के दौरान श्री जगदेव शर्मा (कुल 47 में से) की पहली वरीयता वाले 42 मतपत्र चोरी हो गए थे और अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है;

(आ) पंजाब और हरियाणा चुनाव नियम, 1968 बार काउंसिल में खोए या चोरी हुए वोटों की आकस्मिकता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है; और

(ग) उपर्युक्त 42 खोए हुए मतपत्रों को 25 अक्तूबर, 1975 को निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 3(के) के अंतर्गत समाप्त हो चुके मतपत्रों के रूप में घोषित किया गया था और श्री जगदेव शर्मा को गिनती से हटाए जाने के बाद उपर्युक्त मतपत्रों पर दूसरी अथवा अनुवर्ती प्राथमिकताओं (यदि कोई हो) को ध्यान में नहीं रखा गया था।

उपरोक्त परिसर में, चुनाव याचिकाकर्ता के लिए श्री भागीरथ दास ने पहले स्पष्ट रूप से तर्क दिया था कि खोए हुए या चोरी हुए वोटों की

आकस्मिकता के बारे में नियम मौन थे। उनके अनुसार, इस तरह के खोए हुए या चोरी किए गए वोटों को नियमों में निर्धारित 'थके हुए कागजात' की परिभाषा के भीतर नहीं लाया जा सकता है। इसलिए निर्वाचन अधिकारी का उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का निर्णय कानून में स्पष्ट रूप से गलत था। नतीजतन, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वैधानिक प्रावधान का एक स्पष्ट उल्लंघन रिकॉर्ड पर स्वीकार और स्थापित दोनों है।

(15) अनिवार्य रूप से वैधानिक प्रावधान के आलोक में तर्क की सराहना की जानी चाहिए और संदर्भ की सुविधा के लिए, नियम 3 (के) के प्रावधानों को पहले निर्धारित किया जा सकता है-

> "3 (के) 'थका हुआ पेपर' का अर्थ है एक मतदान पत्र जिस पर एक निरंतर उम्मीदवार के लिए कोई और वरीयता दर्ज नहीं की जाती है और इसमें एक मतदान पत्र शामिल होता है;
>
> (अ) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नाम, चाहे जारी हों या नहीं, एक ही आंकड़े के साथ चिह्नित हैं और वरीयता के क्रम में अगले हैं; नहीं तो वरीयता के क्रम में उम्मीदवार का नाम चाहे जारी हो या नहीं, एक ऐसे आंकड़े द्वारा चिह्नित किया जाता है जो मतदान पत्र पर किसी अन्य आंकड़े के बाद या दो या दो से अधिक आंकड़ों द्वारा लगातार अनुसरण नहीं करता है; नहीं तो
>
> (आ) इस तरह की अस्पष्टता, पुनरावृत्ति, विकृति, या विकृति है जो पहली वरीयता के अलावा किसी भी वरीयता को अस्पष्ट बनाती है।

इस संदर्भ में उत्तरदाताओं के रुख को पहले देखा जा सकता है। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के उत्तरदाता नंबर 1 की वापसी को ठीक से पढ़ने से पता चलता है कि वे यह रुख नहीं अपना रहे हैं कि खोए

हुए या चोरी हुए मतपत्र 'समाप्त पेपर' की परिभाषा के भीतर आते हैं। दलील यह है कि किसी भी सकारात्मक नियमों के अभाव में, रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून द्वारा अप्रत्याशित आकस्मिक स्थिति में एकमात्र उचित निर्णय लिया। बहस के दौरान प्रतिवादी की ओर से श्री पीएस जैन ने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिक से अधिक चोरी या खोए हुए मतपत्रों को कानून की कल्पना द्वारा समाप्त माना जा सकता है।

(16) हालांकि, कुछ अन्य उत्तरदाताओं की ओर से एक तर्क दिया गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय पूरी तरह से नियम 3 (के) के तहत परिभाषा के चार-कोनों के भीतर था। उनकी ओर से मुख्य रूप से उपर्युक्त उद्धृत परिभाषा के खंड (सी) में प्रयुक्त शब्द 'पुनरावृत्ति' के शब्दकोश अर्थ में से एक का संदर्भ दिया गया था, अर्थात्, "किसी भी तरह से पूरी तरह से हटाने या नष्ट करने के लिए"। इस नाजुक नींव पर, यह तर्क दिया गया था कि यहां चोरी या नुकसान का प्रभाव या तो मतपत्रों को हटाने या नष्ट करने के लिए रहा है और इसलिए, यह शब्द वर्तमान स्थिति को भी पर्याप्त रूप से कवर करेगा।

(17) मैं सहमत होने में असमर्थ हूं। सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'मिटाना' शब्द का प्राथमिक अर्थ है "मिटाना या मिटाना, मिटाना; एक लेखन के रूप में अस्पष्ट प्रस्तुत करें". इससे यह स्पष्ट है कि खंड (ग) में 'ओबलिटरेशन' शब्द का उपयोग एक विशेष संदर्भ में किया गया है और इसके पहले "इफ़ेसिमेंट" और "इरेज़र" शब्द हैं। जाहिर है कि एक शब्द अपना रंग या अर्थ उस संदर्भ से भी लेता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है और सादृश्य के माध्यम से *एजुस्डेम जेनेरिस* का सिद्धांत स्पष्ट रूप से आकर्षित होगा। खंड (ग) को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु की चोरी या हानि को कवर करने के लिए 'पुनरावृत्ति' शब्द को फैलाना मुश्किल है।

(18) इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि खंड (सी) को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि उप-नियम (के) के शुरुआती भाग की निरंतरता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, लागू प्रावधान इस प्रकार होगा-

भूप सिंह ***बनाम*** बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा

'थके हुए पेपर' का अर्थ है एक मतदान पत्र जिस पर एक निरंतर उम्मीदवार के लिए कोई और वरीयता दर्ज नहीं की जाती है और इसमें एक मतदान पत्र शामिल *होता है जिस पर* पहली वरीयता के अलावा किसी भी वरीयता को अस्पष्ट बनाने के लिए इस तरह की प्रभाव, पुनरावृत्ति, विकृति, या विकृति होती है।

ऊपर रेखांकित शब्द स्पष्ट महत्व के हैं। 'जिस पर' शब्दों के उपयोग से यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मतदान पत्र की उपस्थिति की कल्पना करता है और यह अकेला है कि उप-खंड (सी) या उप-खंड (ए) और (बी) के बाकी प्रावधान लागू होंगे। यदि मतपत्र गायब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर किसी भी पुनरावृत्ति का पता लगाया जा सके। इसी प्रकार ऊपर प्रयुक्त शब्द 'ऐसा' पुनरावृत्ति की गुणवत्ता और प्रकृति को संदर्भित करता है जिसे केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है जब संबंधित मतपत्र जांच और निर्णय के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हो। अंत में, यहां उपयोग किया जाने वाला अंतिम शब्द 'अस्पष्ट' यह दिखाएगा कि पुनरावृत्ति की प्रकृति उस तरह की होनी चाहिए जो मतदान पत्र पर बाद की प्राथमिकताओं को अस्पष्ट बनाती है। उपर्युक्त कारणों के लिए मेरा विचार है कि प्रावधान की भाषा के प्रति स्पष्ट हिंसा किए बिना किसी मतपत्र के खोने या चोरी होने के मामले को खंड (ग) में 'पुनरावृत्ति' शब्द के भीतर या नियम 3 (के) की परिभाषा में किसी अन्य खंड या शब्द के मामले को लाना संभव नहीं है। इसलिए, यह आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में 42 खोए हुए या चोरी हुए कागजात को नियम 3 (के) के तहत कानून की सख्त नजर में 'समाप्त कागजात' के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे स्पष्ट रूप से और सख्ती से निर्धारित परिभाषा के भीतर आते हैं। इसलिए निर्वाचन अधिकारी का उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का निर्णय इस प्रावधान के अनुसार सख्ती से नहीं है।

(19) याचिकाकर्ता के वकील भागीरथ दास ने स्पष्ट रूप से और महत्वाकांक्षी रूप से तर्क दिया कि एक बार जब एकल वैधानिक नियम (वर्तमान उदाहरण में नियम 3 (के) के रूप में) का उल्लंघन स्थापित हो जाता है, तो बार काउंसिल के लिए चुने गए सभी 20 उत्तरदाताओं का चुनाव एक साथ रद्द कर दिया जाना चाहिए / लंबा तर्क यह था कि चुनाव की प्रक्रिया में कम से कम कानूनी खामी रिट कोर्ट के पास पूरी कार्यवाही को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ती है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए विद्वान वकील की यह दलील थी कि अन्य चुनावों के अलावा, किसी भी मामले में एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित चुनाव में, यह स्थापित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है और वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता है।

(20) मैं उपर्युक्त दोहरी दलील के किसी भी अंग से सहमत होने में असमर्थ हूं। देश में मूल निर्वाचन संविधि अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का सीधा संदर्भ देने से पता चलता है कि यह केवल ऐसी मूलभूत दुर्बलताओं के मामले में है जैसे कि भ्रष्ट आचरण करना, नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति, उम्मीदवार में पर्याप्त कानूनी योग्यता की कमी या मतदाता सूची में ही बुनियादी त्रुटियां, कि चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट है कि ये ऐसे मामले हैं जो या तो चुनाव प्रक्रिया की जड़ तक जाते हैं, या नैतिक पतन से जुड़े कार्यों के कारण इसकी पवित्रता को शामिल करते हैं। इसलिए, ऐसे मामलों में परिणाम पर इसके प्रभाव के संदर्भ के बिना पूरे चुनाव को शून्य कर दिया जाता है। दूसरी ओर, जहां तक किसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों का पालन न करने का संबंध है, सिद्धांत यह है कि चुनाव याचिकाकर्ता को यह दिखाना चाहिए कि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। यह न केवल एक सांविधिक उपबंध के उल्लंघन पर लागू होता है,

बल्कि देश के सर्वोच्च कानून अर्थात् संविधान के उल्लंघन पर भी लागू होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अलावा, अन्य चुनाव कानूनों, जिनके लिए इस स्थान पर विस्तृत संदर्भ अनावश्यक है, का पूरा दायरा इस मुख्य सिद्धांत को उजागर करेगा कि मतदाताओं के फैसले को हल्के ढंग से रद्द नहीं किया जाना चाहिए (कानून द्वारा विशेष रूप से निर्धारित मामलों को छोड़कर) जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से अत्यधिक कठोर नियम का समर्थन करने के लिए कोई सिद्धांत या मिसाल का हवाला नहीं दिया गया है, जो उनकी ओर से प्रचारित किया गया है कि वैधानिक नियम के हर एक उल्लंघन को *वास्तव में* पूरे चुनाव को शून्य कर देना चाहिए। मेरा विचार है कि चुनाव कानून के प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान को इतने ऊंचे पायदान पर नहीं उठाया जा सकता है कि इसका उल्लंघन *वास्तव में* मतदाताओं के फैसले को गिरा दे।

(21) अब यहां विवाद के दूसरे भाग पर आते हैं, अर्थात्, कि एकल संक्रमणीय वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित चुनाव में कानून के मामले के रूप में, यह स्थापित करने का कोई सवाल नहीं उठता है कि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है, मुझे लगता है कि यह तर्क फिर से पूरी तरह से अनिश्चित नींव पर आधारित है। वास्तव में, बुनियादी वैधानिक प्रावधानों की सरल भाषा, जिसका संदर्भ इसके बाद दिया गया है, इस अमूर्त तर्क को स्पष्ट रूप से नकारात्मक कर देगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुनाव के परिणाम पर भौतिक प्रभाव का मुद्दा उत्पन्न नहीं हो सकता है और न ही इसे स्थापित करने का बोझ चुनाव को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर डाला जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 और 66 का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए एकल संक्रमणीय वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव की विधि निर्धारित करता

भूप सिंह ***बनाम*** बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा
है।

(22) अब, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 18 की सरल भाषा में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क पर विश्वास किया जाता है। धारा 18 का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित शब्दों में है;

18. लौटे हुए उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने का आधार-

(एक) यदि उच्चतम न्यायालय की राय है-

(क) * * * * *

(ख) क्या चुनाव के परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुए हैं-

(ज) *****

(ii) *****

(iii) संविधान या इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेशों का अनुपालन न करके;

(ग) * * * * *

उच्चतम न्यायालय लौटाए गए उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा।

(दो) * * * * * **

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि नियमों के अलावा यहां संविधि स्वयं यह निर्धारित करती है कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव को वैधानिक प्रावधान का अनुपालन न करने के कारण से केवल तभी रद्द किया जा

सकता है जब परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ हो। यही परिणाम संविधान के अनुच्छेद 80 और 171 (पहले से ही संक्षेप में विज्ञात) के संदर्भ से आता है, जो फिर से इस प्रणाली के अनुसार राज्यों की परिषद और राज्य विधान परिषदों के चुनाव आयोजित करने का प्रावधान करता है। यह सामान्य मामला है कि संवैधानिक अधिदेश को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए चुनाव नियमावली 1961 के संचालन में दिए गए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 किसी भी अन्य चुनाव की तरह एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा आयोजित चुनावों पर लागू होती है। धारा 100 का संगत उपबंध निम्नलिखित शब्दों में है -

100. निर्वाचन को शून्य घोषित करने का आधार:-

(एक)उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि उच्च न्यायालय की राय है-

$ * * $ * * *

(इ) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक लौटे हुए उम्मीदवार से संबंधित है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है-

♦ * * * * * *

(iv) संविधान के उपबंधों या इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेशों का अनुपालन न करके,

उच्च न्यायालय लौटाए गए उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा।

* * * * * * *

इसलिए, उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि कानून न केवल कल्पना करता है, बल्कि वास्तव में प्रावधान करता है

यह दिखाने का बोझ कि चुनाव परिणाम उन मामलों में भी भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है जहां इसे एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया गया है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि यह दिखाना संभव है कि एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है और अनिवार्य रूप से ऐसे चुनाव को अमान्य करने की मांग करने वाले व्यक्ति पर इस तरह के प्रमाण का बोझ डालना है। इसलिए, इसके विपरीत याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील को खारिज किया जाना चाहिए।

(23) उपरोक्त दो सारगर्भों को खारिज करते हुए, और यदि मैं इतना अतिवादी, कानूनी प्रस्ताव कह सकता हूं, तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह तर्क देने के लिए एक रणनीतिक कदम पीछे खींच लिया कि सामान्य कानून में जो भी स्थिति हो, चुनाव के परिणाम के भौतिक रूप से प्रभावित होने की ठोस अवधारणा को पंजाब और हरियाणा चुनाव बार काउंसिल के हिस्से के रूप में आयात और पढ़ा नहीं जा सकता है। 1968. उन्होंने प्रस्तुत किया कि यहां नियम 34 में अन्य चुनाव विधियों के साथ परिमटेरिया में कोई प्रावधान नहीं है, जो वैधानिक उल्लंघन के मामले में परिणाम के बोझ को भौतिक रूप से प्रभावित करने को निर्धारित करता है।

(24) यहां याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील एक ठोस आधार पर प्रतीत होते हैं। नियम 34 का संदर्भ, जो चुनावों की वैधता के संबंध में विवादों के संबंध में वस्तुतः विस्तृत है, यह दर्शाता है कि इन नियमों के निर्माताओं ने समान शब्दों में यह शामिल करने का विकल्प नहीं चुना कि किसी वैधानिक नियम के उल्लंघन के आधार पर एक चुनाव को रद्द नहीं किया जाना

चाहिए जब तक कि उसका परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित न हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बार काउंसिल नियमों के अधिकांश प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बनाए गए चुनाव संचालन नियम, 1961 के भाग VII के संबंधित प्रावधानों से शब्दशः लिए गए हैं। इसलिए, नियमों के निर्माताओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए वैधानिक नियमों के प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत माना जाना चाहिए, जिसमें से उन्होंने न केवल मूल भावना बल्कि कानून के पत्र को भी प्राप्त किया है। फिर भी, ऐसी स्थिति में भी लेखकों ने नियम 34 के तहत चुनाव विवादों के निर्णय का प्रावधान करते समय चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित करने के नियम को शामिल नहीं किया। नतीजतन, निर्माण के मामले में इन नियमों के भीतर इसकी सख्त कठोरता के संदर्भ में उस प्रावधान को आयात करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसे जानबूझकर या अनपेक्षित रूप से बाहर रखा जाता है। उत्तरदाताओं की ओर से, हमारे समक्ष दृढ़ता से आग्रह किया गया था कि चुनाव में बाधा न डालने के इस पवित्र सिद्धांत को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित नहीं दिखाया जा सकता है। तथापि, मैं पाता हूं कि यदि प्रतिवादियों के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अंतिम परिणाम यह होगा कि जो कानून स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करते हैं कि चुनाव को तब तक रद्द नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम उन लोगों के विपरीत प्रभावित न हो जहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कानूनी परिणाम होगा, वास्तव में, एक ही रहो। ऊपरी तौर पर यह असंगत लगता है। यह प्रावधान करेगा जहां इसे सकारात्मक रूप से लगभग टॉटोलॉगस के रूप में बनाया गया है। दूसरी ओर, वैधानिक प्रावधानों के एक समूह में शारीरिक रूप से शामिल करना, जहां यह नहीं बनाया गया है, उस प्रावधान में कुछ पढ़ने का प्रयास होगा जिसे नियम-निर्माताओं ने स्वयं प्रदान करने के लिए नहीं चुना था। यह निर्माण का एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक व्याख्या के

माध्यम से ओमिसस को आसानी से आपूर्ति नहीं की जा सकती है और न ही की जानी चाहिए। मैक्सवेल के आधिकारिक काम 'विधियों की व्याख्या पर' ग्यारहवें संस्करण के पृष्ठ 12 पर बिंदु पर यह कहना है:

> "यह शाब्दिक निर्माण के सामान्य नियम का परिणाम है कि किसी क़ानून में कुछ भी जोड़ा या लिया नहीं जाना चाहिए, जब तक कि इस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए समान पर्याप्त आधार नहों कि विधायिका का इरादा कुछ ऐसा था जिसे उसने व्यक्त करने के लिए छोड़ दिया था। संसद के अधिनियम के अधिनियम में उन शब्दों को पढ़ना एक मजबूत बात है जो वहां नहीं हैं, और स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में, ऐसा करना एक गलत बात है। हम संसद के अधिनियम में शब्दों को पढ़ने के हकदार नहीं हैं जब तक कि इसके लिए स्पष्ट कारण अधिनियम के चार कोनों के भीतर ही नहीं पाया जाता है। शब्दों को स्पष्ट रूप से एक क़ानून में निहितार्थ द्वारा नहीं जोड़ा जाना चाहिए जब तक कि भाषा को इसके संदर्भ में अर्थ और अर्थ देने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।

फिर से 'क्रेज़' प्रसिद्ध कार्य 'क़ानून कानून पर' में, यह छठे संस्करण के पृष्ठ 70 पर कहा गया है:

> "इस नियम का दूसरा परिणाम यह है कि एक क़ानून को एक ऐसे मामले को पूरा करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है जिसके लिए प्रावधान स्पष्ट रूप से और निस्संदेह नहीं किया गया है। जब किसी अधिनियम में किसी अन्य अधिनियम की विशेष बचत होती है, और किसी तीसरे अधिनियम के सभी संकेतों को छोड़ दिया जाता है, तो यह मानना सुरक्षित है कि चूक जानबूझकर की गई है, बजाय इसके कि यह भूलने की वजह से

है या प्रति *लाइलाज है।*

निर्माण के उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह कहूंगा कि बार काउंसिल नियमों में इस नियम की सख्त कठोरता को स्पष्ट शब्दों में आयात करना संभव नहीं है कि किसी नियम का उल्लंघन X है और किसी चुनाव को अमान्य नहीं करता है जब तक कि यह परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित न करे।

(25) हालांकि यह कानून की सख्त नजर में है, याचिकाकर्ता केवल एक शानदार जीत हासिल करता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके मामले में परिणामी अंतर मामूली है। यह परिणाम नियमों में नियम 34 के उप-खंड (8) के प्रावधानों से सादृश्य के रूप में और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन राहत प्रदान करने को नियंत्रित करने वाले कानून के सामान्य सिद्धांतों पर भी सीधे आता है। मैं पहले संक्षेप में उत्तरार्द्ध को विस्तार से बताऊंगा।

(26) यह अच्छी तरह से तय है कि असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के तहत विवेकाधीन राहत को कानून के हर तकनीकी और असंगत उल्लंघन के लिए अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में याचिकाकर्ता को खुद को रिट देने का अधिकार देने के लिए यह दिखाना होगा कि उसने जो कार्रवाई की है, उससे उसके साथ स्पष्ट अन्याय हुआ है। पचास के दशक में इसे आधिकारिक रूप से वीरप्पा पिल्लई बनाम भारत में रखा गया था। रमन एंड रमन लिमिटेड और अन्य (5), कि -

> "अनुच्छेद 226 में संदर्भित ऐसी रिट स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को गंभीर मामलों में उन्हें जारी करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से हैं, जहां अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निकाय या अधिकारी पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना,

या उससे अधिक, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, या उनमें निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार करते हैं, या रिकॉर्ड के चेहरे पर एक त्रुटि स्पष्ट है, और इस तरह के कार्य, चूक, त्रुटि या अधिकता के परिणामस्वरूप स्पष्ट अन्याय हुआ है।

कानून की पूर्वोक्त निंदा को गंभीरता से दूर नहीं किया गया है और वास्तव में इसे बार-बार पुष्टि मिली है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि 'प्रकट अन्याय' शब्द को एक सटीक परिभाषा के स्ट्रेट-जैकेट में नहीं डाला जा सकता है और इसे उस संदर्भ से अपना रंग लेना चाहिए जिसमें अन्याय उत्पन्न होने का आरोप लगाया गया है। अब चुनावी संदर्भ में स्पष्ट अन्याय क्या है? मेरे विचार से इसका मतलब स्पष्ट रूप से मताधिकार के अधिकार की ऐसी विफलता या उपेक्षा होगी जिसने अनिवार्य रूप से चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है। मतदाताओं के फैसले को आसानी से परेशान करने की अवांछनीयता को अदालतों द्वारा इतनी बार उजागर किया गया है कि इस मुद्दे को सिद्धांत रूप में फिर से विस्तृत करना व्यर्थ होगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब तक कोई असाधारण मामला नहीं बनता है जो मामले की जड़ तक जाता है या इसमें नैतिक अधमता शामिल होती है (उदाहरण के लिए, भ्रष्ट आचरण करना, दोषपूर्ण मतदाता सूची या नामांकन पत्र की गलत अस्वीकृति या स्वीकृति, आदि), बिना किसी संपूर्ण के, चुनावी मामले में रिट सामान्य रूप से केवल तभी जारी की जाएगी जब याचिकाकर्ता कम से कम यह स्थापित करता है कि कथित नियम का उल्लंघन आवश्यक रूप से हुआ है। चुनौती दिए गए परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित करना। कानून के पत्र का हर तकनीकी उल्लंघन या प्रक्रियात्मक नियम का कोई भी उल्लंघन याचिकाकर्ता को रिट अधिकार क्षेत्र के तहत विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं होगा। इसलिए, चुनावी संदर्भ में प्रकट अन्याय (ऊपर देखे गए असाधारण मामलों को छोड़कर) का मतलब इससे कम या ज्यादा कुछ नहीं

हो सकता है कि चुनौती दिए गए परिणाम काफी हद तक प्रभावित हुए हैं।

(27) याचिकाकर्ता की ओर से मुक सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (6) और जोगिंदर सिंह बनाम डिप्टी कस्टोडियन जनरल, इवैक्यूई प्रॉपर्टी, मसूरी (7) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था कि जहां कानून का उल्लंघन स्थापित किया गया है, वहां प्रकट अन्याय को तार्किक परिणाम के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है। उद्धृत निर्णय याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए व्यापक प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं, और वास्तव में उन आदेशों के बीच सूक्ष्म लेकिन सार्थक अंतर को याद करते हैं जो पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से रहित हैं और केवल एक गलत निर्णय है। उपर्युक्त दो निर्णयों के संदर्भ से पता चलता है कि इसमें टिप्पणियां उन मामलों के संदर्भ में की गई थीं जहां न्यायालय ने राय दी थी कि अधिकार क्षेत्र का पूर्ण या आंतरिक दोष था। श्री कुलदीप सिंह ने प्रतिवादियों की ओर से बलपूर्वक और मेरे विचार से सही कहा है कि क्षेत्राधिकार का पूरी तरह से अभाव या उसमें एक बुनियादी दोष एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्णय में केवल त्रुटि के अलावा एक चीज है, जो निस्संदेह अधिकार क्षेत्र के साथ है और इसका निर्णय लेता है। नियम 29 (iv) के आधार पर यह रिटर्निंग अधिकारी है जिसे समाप्त हुए कागजात के मूल्य का निर्णय और मूल्यांकन करना है। दरअसल, याचिकाकर्ता की ओर से भी यह गंभीर रूप से विवादित नहीं था कि मतपत्र की घोषणा समाप्त हो गई है या अन्यथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जानी है। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के लिए जो उच्चतम कहा जा सकता है वह यह है कि चोरी किए गए, मतपत्रों पर नियम 3 (के) लागू करते समय, रिटर्निंग अधिकारी ने इसे गलती से या अधिक से अधिक निर्णय की त्रुटि में डाल दिया। इसलिए, इस मामले में उनके फैसले को अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से कमी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(6) 1970 पी.एल.आर. 697.

(7) सीए 457/58 का निर्णय 26 मार्च, 1962 को हुआ।

टी. सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा और एक अन्य (8) में यह नियम कि केवल एक गलत निर्णय को रिट द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार वर्तमान मामले में भी लागू होता है। इसलिए, मैं यह मानता हूं कि सफल होने के लिए, यह याचिकाकर्ता पर निर्भर है जब वह एक प्रक्रियात्मक नियम के उल्लंघन का आरोप लगाता है कि उसे स्पष्ट अन्याय का सामना करना पड़ा है, जिसका व्यावहारिक रूप से अर्थ है कि वह जिस चुनाव परिणाम को चुनौती दे रहा है वह भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। जाहिर है कि इसे स्थापित करने का बोझ उस पर होना चाहिए।

(28) इसी तरह का और वास्तव में एक समान परिणाम तब भी सामने आता है जब नियम 34 के उप-खंड (8) की भाषा का संदर्भ दिया जाता है, जो चुनावों की वैधता के बारे में विवादों के संबंध में नियमों के इस सेट के तहत विशेष प्रावधान है। यह निम्नलिखित शब्दों में है :-

> "34 (8) कोई भी याचिका इस आधार पर नहीं होगी कि कोई नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था या किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल किया गया था या हटा दिया गया था। *कोई त्रुटि या अनियमितता जो पर्याप्त प्रकृति की नहीं है।* ,

(29) ऊपर रेखांकित शब्दों से यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं की मंशा यह थी कि एक बार चुनाव होने के बाद नियम 34 (1) के तहत नियमित याचिका के दौरान भी रद्द नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि कथित त्रुटि या अनियमितता पर्याप्त प्रकृति की न हो।

(8) (1955) 1 एस.सी.आर.

इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से शामिल करके निर्माताओं का क्या इरादा था? अगर भागीरथ दास का यह तर्क स्वीकार कर लिया जाए कि चुनाव के परिणाम पर किसी नियम के हर तकनीकी उल्लंघन से पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी, तो नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रख्यापित उपरोक्त प्रावधान एक तरह से निरर्थक हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिणाम यह होगा कि वैधानिक नियम का हर उल्लंघन पूरी प्रक्रिया को अमान्य कर देगा, इस तथ्य के बावजूद कि त्रुटि या अनियमितता पर्याप्त या अपर्याप्त प्रकृति की है। मेरा दृढ़ मत है कि इसके लेखकों द्वारा इस प्रावधान को शामिल करने का मतलब केवल अधिशेष नहीं था। नियमों के तहत कानून का अधिदेश, जो यहां अन्य चुनाव विधियों के अनुरूप है, यह है कि हर अनियमितता या त्रुटि को इतने ऊंचे पायदान पर नहीं उठाया जाना चाहिए कि उसका केवल तकनीकी उल्लंघन पूरे चुनाव को अमान्य कर देगा। यह केवल ऐसी त्रुटियां या अनियमितताएं हैं जो पर्याप्त प्रकृति की हैं जो इस तरह के परिणाम का कारण बन सकती हैं। यह न तो आवश्यक है और न ही शायद वांछनीय है कि एक पर्याप्त चरित्र की त्रुटि या अनियमितता क्या होगी। हालांकि, एक बात स्पष्ट है कि चुनाव के संदर्भ में एक त्रुटि या अनियमितता जो किसी भी तरह से उसके परिणाम पर अपना प्रतिबिंब नहीं डालती है, उसे शायद ही सार माना जा सकता है। वास्तव में, इसलिए, त्रुटि या अनियमितता का पर्याप्त चरित्र अनिवार्य रूप से चुनाव के परिणाम से सह-संबंधित होना चाहिए। इसलिए, उत्तरदाताओं का यह आग्रह करना सही लगता है कि केवल एक नियम का तकनीकी उल्लंघन दिखाना बार काउंसिल के 20 निर्वाचित सदस्यों को हटाने के लिए अपर्याप्त है। याचिकाकर्ता को यह दिखाने के बोझ का निर्वहन करना चाहिए कि इस तरह का उल्लंघन पर्याप्त प्रकृति का था और व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह स्थापित करने से कम नहीं हो सकता है कि चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ है।

(30) यहां स्पष्टता के लिए, मैं उल्लेख कर सकता हूं कि किसी का अर्थ यह समझा जा सकता है कि रिट न्यायालयों की शक्तियों को किसी भी तरह से धारा 34 (8) के तहत चुनाव न्यायाधिकरण के अधीन कर दिया गया है क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 226 के व्यापक अधिकार से प्राप्त होती हैं। हालांकि, नियम 34 का उप-खंड (8) नियम निर्माताओं की मंशा का स्पष्ट संकेत देता है कि त्रुटियों या अनियमितताओं की प्रकृति या गुणवत्ता क्या है, जो इन नियमों के विशेष संदर्भ में चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देने की नींव होनी चाहिए।

(31) उनके रास्ते में स्पष्ट रूप से एक अपरिवर्तनीय बाधा का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से अंतिम दावा यह है कि वास्तव में यह स्थापित हो गया है कि चुनाव का परिणाम वास्तव में उनके नुकसान के लिए भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। याचिका के पैरा 6 और 14 में कुछ कथनों पर भरोसा करते हुए, श्री भागीरथ दास ने यह तर्क देने की मांग की थी कि श्री जगदेव शर्मा के 42 खोए हुए वोटों में से, याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में 25 से 30 सेकंड वरीयता प्राप्त की होगी। निवेदन यह था कि इस संभावना की धारणा पर एक उचित संभावना थी कि परिणाम अंततः उनके पक्ष में हो सकता है और उन्हें अंतिम सफल उम्मीदवार के स्थान पर चुना जा सकता है, अर्थात्, प्रतिवादी संख्या 22 वकील ने तर्क दिया कि यदि श्री जगदेव शर्मा की दूसरी प्राथमिकता, यदि कोई हो, यदि याचिकाकर्ता के साथ जोड़ा जाना था, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित चुनाव में एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा अंतिम परिणाम की परिकल्पना या कल्पना नहीं की जा सकती है। नियम 29 और 30 का हवाला दिया गया था जिसमें एक गिनती के बाद किसी उम्मीदवार को बाहर करने और शेष उम्मीदवारों को अधिशेष वोटों के हस्तांतरण और ऐसी स्थिति में प्रत्येक मतदान पत्र के मूल्य की गणना करने की जटिल विधि

का प्रावधान है। इन पर भरोसा करते हुए, निवेदन यह था कि इतने सारे क्रमपरिवर्तन और संयोजन एक आवश्यक परिणाम के रूप में उत्पन्न होंगे कि चुनाव का परिणाम अच्छी तरह से प्रभावित हो सकता है। सुरम्य भाषा में यह प्रस्तुत किया गया था कि नियम का उल्लंघन और इसके परिणामस्वरूप श्री जगदेव शर्मा के खोए हुए वोटों में दूसरी वरीयता को समाप्त करने से एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा होगी और यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यदि उन 42 मतों को वास्तव में क्षेत्र में किसी एक या अन्य उम्मीदवार के लिए ध्यान में रखा गया होता तो वोट किस ओर झुक जाते। श्री भागीरथ दास ने दृढ़ता से तर्क दिया कि अगर इस तरह की प्रक्रिया में एक भी वोट को गलत तरीके से शामिल या बाहर रखा जाता है, तो चुनाव के परिणाम को प्रभावित माना जा सकता है और इस संबंध में याचिकाकर्ता पर कोई और बोझ नहीं डाला जा सकता है।

(32) यह इस संदर्भ में है (जैसा कि पहले ही शुरू में देखा गया है) कि पार्टियां तथ्यों पर भी तेजी से भिन्न प्रतीत होती हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा 6 में कहा था कि जब मतगणना कर्मी वोटों की छंटाई कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जगदेव शर्मा की पहली वरीयता वाले 47 मतपत्रों में से लगभग 25 से 30 ने याचिकाकर्ता के पक्ष में दूसरी वरीयता दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि श्री जगदेव शर्मा को मिले अधिकांश वोट कैथल, नरवाना और करनाल से थे, क्योंकि चंडीगढ़ में अपने अभ्यास के स्थान को स्थानांतरित करने से पहले, वह पहले कैथल में एक वकील के रूप में अभ्यास कर रहे थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह नरवाना से संबंधित है जहां उसके पिता अभी भी एक वकील के रूप में अभ्यास कर रहे हैं और आगे कहा कि कैथल याचिकाकर्ता और उसके पिता के राजनीतिक और व्यक्तिगत दोस्तों की मजबूत पकड़ है।

(33) प्रतिवादी बार काउंसिल ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई इन बातों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। उनकी ओर से यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता और उस मामले के लिए किसी भी अन्य उम्मीदवार के लिए प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती के समय किसी भी मतपत्र पर दूसरी वरीयता के वोटों का निरीक्षण करना शारीरिक रूप से असंभव था। यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि उम्मीदवारों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना कर्मचारियों के पास जाने की अनुमति नहीं थी और इस प्रकार न तो कोई उम्मीदवार और न ही उसका एजेंट पहली वरीयता के वोटों को देख सकता था। याचिकाकर्ता के कैथल क्षेत्र के बारे में दावा किया गया है कि यह उनकी विशेष मजबूत पकड़ है और इसे केवल बमबाज़ी और असत्य के रूप में लेबल किया गया है और यह उजागर किया गया है कि श्री जगदेव शर्मा के चोरी किए गए पांच वोटों में से याचिकाकर्ता को वोट का एक अंश भी नहीं मिला। फिर यह बताया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा दूसरी वरीयताओं को देखने के अवसर की यह पूर्ण अनुपस्थिति इस तथ्य से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपने द्वारा देखे गए कथित दूसरी वरीयता के वोटों की सही संख्या देने में सक्षम नहीं है और केवल अनुमान लगा रहा है। इस संदर्भ में प्रतिवादी नंबर 1 का दृढ़ और स्पष्ट रुख उत्तर के पैरा 14 में निहित है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता का यह आरोप कि उसने श्री जगदेव शर्मा के 42 चोरी किए गए वोटों में दूसरी वरीयता के वोटों का निरीक्षण किया या संभवतः कर सकता था, शानदार और गलत था।

(34) इस संदर्भ में, पैरा 6 में याचिकाकर्ता की प्रतिकृति फिर से उनके मामले को जोड़ने के बजाय कम करती प्रतीत होती है। यह माना जाता है कि पहले दिन जब 9 अगस्त, 1975 को मतगणना शुरू हुई, तो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित

थीं और मतगणना के समय उपस्थित सभी उम्मीदवार या उनके मतगणना एजेंट मतगणना कर्मचारियों की मेजों पर मंडरा रहे थे और अव्यवस्थित तरीके से वोटों का अवलोकन और अवलोकन कर रहे थे। फिर यह जोड़ा जाता है कि फिर से शुरू की गई मतगणना के चरण में याचिकाकर्ता ने मतगणना टेबलों और उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के बीच एक बैरिकेड पाया, जिन्हें मतगणना टेबल से छह से सात फीट दूर बैठाया गया था। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे और अन्य उम्मीदवारों को वोट देखने के अवसर से वंचित कर दिया गया था और इसमें नियम 25 का ऐसा उल्लंघन शामिल है कि चुनाव को इस कारण से भी बुरा माना जाना चाहिए।

(35) उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि तथ्य के इन मुद्दों पर पार्टियां पूरी तरह से भिन्न हैं। प्रतिवादी बार काउंसिल अपने रुख में दृढ़ और स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने श्री जगदेव शर्मा के 42 मतपत्रों पर दूसरी वरीयता के वोटों का अवलोकन नहीं किया और वास्तव में नहीं कर सका, जो बाद में चोरी हो गए थे। श्री पी. एस. जैन ने कहा कि प्रतिकृति के पैरा 6 को देखते हुए याचिकाकर्ता ने लगभग स्वीकार किया है कि उनके लिए यह नोटिस करना संभव नहीं था कि श्री जगदेव शर्मा के दूसरी वरीयता के वोट किसके पक्ष में डाले गए थे। रिट क्षेत्राधिकार में तथ्य के विवादित प्रश्नों के क्षेत्र में यात्रा करना आमतौर पर संभव नहीं है, न ही मेरा विचार है कि वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें इन तथ्यों को निर्धारित करने की ऐसी कोई असाधारण कार्रवाई की आवश्यकता है। वास्तव में याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई दावा भी नहीं किया गया है और प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत होना भी संभव नहीं लगता है जो इस मामले को निर्णायक रूप से निर्धारित कर सके। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता के आशावादी दावे के लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि अगर चोरी किए गए 42

वोटों की गिनती की गई होती, तो उसमें 25 या 30 वोट उसके पक्ष में दूसरी वरीयता देते।

(36) इसके अलावा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के दावे में व्यवहार्यता का अभाव है और तथ्य की ठोस नींव के बजाय शौकीन और इच्छाधारी सोच से उपजा प्रतीत होता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मतगणना के पहले दिन 64 उम्मीदवार मैदान में थे और 5,000 से अधिक वोट डाले गए थे। एक पल के लिए मान लें (हालांकि इसके लिए कोई पर्याप्त वारंट नहीं है) कि याचिकाकर्ता का यह कथन कि पहले दिन मतगणना अव्यवस्थित और अव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही थी, सच है, तब भी उनके बयान में व्यवहार्यता की कमी है। उस स्तर पर, स्पष्ट रूप से यह मानने का कोई अवसर नहीं था कि किसी विशेष उम्मीदवार या श्री जगदेव शर्मा के वोट खो जाएंगे। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता उन सभी उम्मीदवारों के सभी दूसरी वरीयता के वोटों के साथ तालमेल कैसे रख सकता है जो अभी तक मैदान में थे और न केवल उन्होंने ऐसा किया, बल्कि उनमें से हर एक की दूसरी प्राथमिकताओं को याद रखा, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया, श्री जगदेव शर्मा की पसंद भी शामिल है। जिसे वह केवल अनुमान लगाकर ही दे सकता है।

(37) अन्यथा भी यह स्वयंसिद्ध है कि गुप्त मतदान द्वारा आयोजित चुनाव में मतदाता हमेशा अप्रत्याशित होते हैं और प्रभाव के क्षेत्रों के बारे में कोई भी इच्छाधारी सोच, अधिक से अधिक, अनावश्यक या कमजोर हो सकती है। यहां तक कि याचिकाकर्ता का यह मानना कि श्री जगदेव शर्मा के पक्ष में डाले गए प्रथम वरीयता के वोट आवश्यक रूप से उनके पक्ष में दूसरी वरीयता प्राप्त करेंगे, एक ट्रिपल भ्रम से ग्रस्त है। नियम 23 का संदर्भ, जो मतदान की विधि निर्धारित करता है, यह दर्शाता है कि एक मतदाता को अपनी पहली वरीयता के वोट देने के लिए आवश्यक रूप से

बुलाया जाता है, लेकिन उसके लिए दूसरी, तीसरी या चौथी वरीयता आदि देना पूरी तरह से वैकल्पिक है। इसलिए, याचिकाकर्ता, तर्कसंगत कारणों से, यह मानता है कि सभी खोए हुए मतपत्रों की आवश्यक रूप से दूसरी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। दूसरी धारणा यह प्रतीत होती है कि श्री जगदेव शर्मा के खोए हुए सभी 42 मतपत्र आवश्यक रूप से कैथल क्षेत्र से थे। बार काउंसिल के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के साथ-साथ चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। उम्मीदवारों ने सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचार किया था और यह धारणा कि श्री जगदेव शर्मा के सभी प्रथम वरीयता के वोट या आवश्यक रूप से उनमें से अधिकांश कैथल क्षेत्र से थे, फिर से कल्पना के दायरे में एक है। इसलिए, तीसरी धारणा यह है कि अगर वोट कैथल क्षेत्र से डाले गए थे, तो याचिकाकर्ता के पास अधिकांश प्रासंगिक मतपत्रों में दूसरी वरीयता के वोट होना चाहिए, जो पूरी तरह से फिसलन भरी जमीन पर प्रतीत होता है। कार्य-कारण की श्रृंखला अपने आप में बहुत दूरस्थ प्रतीत होती है और, जैसा कि पहले ही देखा गया है, प्रतिवादी बार काउंसिल की ओर से दृढ़ इनकार से तथ्य की कोई भी नींव स्पष्ट रूप से नष्ट हो जाती है। वास्तव में, इन परिस्थितियों में, यह संभव है कि, वास्तव में, सभी खोए हुए वोट पूरी तरह से अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में गए होंगे और यदि इसे ध्यान में रखा जाए तो याचिकाकर्ता के अंकों या वोटों के मूल्यांकन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अनुमान को इस तथ्य से समर्थन मिलता है कि 5 वोट, जो मूल 47 में से पुनः प्राप्त किए गए थे, जो खो गए थे, याचिकाकर्ता के पक्ष में एक भी दूसरी वरीयता नहीं रखते थे। उत्तरदाताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया था कि अन्य परिस्थितियों की अनुपस्थिति में मतदान के पैटर्न को भी एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए देखा जा सकता है कि इसकी प्रवृत्ति क्या होगी। यह जोरदार तर्क दिया गया था कि 5 बरामद मतों में से याचिकाकर्ता के पक्ष में एक भी द्वितीय वरीयता का वोट न होना, मतदान के पैटर्न की ओर एक निर्णायक संकेत नहीं था, जो यह दिखाएगा

कि श्री जगदेव शर्मा के खोए हुए वोट, यदि पता लगाने योग्य हैं, तो याचिकाकर्ता के अलावा अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में जाते।

रिलायंस को पाओकाई हाओकिप बनाम रिशांग और अन्य (9) पर रखा गया था, जिसमें यह साबित करने के बोझ के संदर्भ में कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है, उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार देखा: -

> "हालांकि हमें नहीं लगता कि इस तरह के तथ्यों को साबित करने के लिए आंकड़ों को सहायता में बुलाया जा सकता है, क्योंकि यह कुख्यात है कि आंकड़े कुछ भी साबित कर सकते हैं और किसी भी मामले के लिए झूठ बोल सकते हैं, मतदान के प्रदर्शित पैटर्न पर ध्यान देने के लिए हमारे निष्कर्ष तक पहुंचने में यह हमारे लिए खुला है। ऐसा करने के बाद, हम काफी संतुष्ट हैं कि किसी भी उचित अनुमान से, 1541 वोटों को वापस आए उम्मीदवार की बढ़त से नहीं हटाया जा सकता था ताकि चुनाव याचिकाकर्ता को सफल बनाया जा सके।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मतदान के पैटर्न को अच्छी तरह से ध्यान में रखा जा सकता है। यहां श्री जगदेव शर्मा के पांच पुनर्प्राप्त मतों पर दूसरी या बाद की प्राथमिकताएं वास्तव में याचिकाकर्ता के इस दावे को झुठलाती हैं कि श्री जगदेव शर्मा के प्रथम वरीयता के सभी या काफी हद तक अधिकांश वोट उनकी दूसरी पसंद के पक्ष में हैं। यहां याचिकाकर्ता का दावा मुख्य रूप से प्रतीत होता है, अगर तथ्य की तुलना में पूरी तरह से अनुमान के क्षेत्र में नहीं।

(38) यहां निष्कर्ष अपरिहार्य लगता है कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में पूरी तरह से असमर्थ रहा है कि यदि 42 खोए हुए वोटों को ध्यान में रखा गया होता, तो परिणाम किसी भी तरह से उसके पक्ष में प्रभावित होता।

(9) ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 663

138

वास्तव में यह भी उतना ही संभव है कि ये वोट वास्तव में पूरी तरह से अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में गए हों और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के टैली या उसके वोटों के मूल्यांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। यहां तक कि याचिकाकर्ता के मामले को उच्चतम स्तर पर रखते हुए कि उसकी गिनती में 25 या 30 द्वितीय वरीयता के वोट जोड़े गए होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इसके परिणामस्वरूप उसका चुनाव हुआ होगा या बीस निर्वाचित उम्मीदवारों में से एक को आवश्यक रूप से बाहर कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता को एक बहुत ही प्रशंसनीय या कम से कम एक उचित मामला बनाना होगा कि परिणाम निश्चित रूप से उसके पक्ष में जाएगा। यहां उच्चतम स्तर पर वह यह दिखाने में सक्षम रहा है कि किसी न किसी तरह से उसी के प्रभावित होने की संभावना बहुत कम थी। मेरी राय में यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। केवल यह सुझाव देना कि परिणाम प्रभावित हो सकता है, यह स्थापित करने से अलग और अलग है कि यह भौतिक रूप से इतना प्रभावित हुआ होगा। जैसा कि 'हो सकता है' और 'अवश्य' के बीच एक अन्य क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कहा गया है, एक व्यापक अंतर है। इसे ठोस और स्थापित तथ्यों से भरा जाना चाहिए और वर्तमान मामले में इसका स्पष्ट रूप से अभाव है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता का यह दावा कि चुनाव का परिणाम अलग होगा और उसे आवश्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा, पूरी तरह से असंगत प्रतीत होता है।

अनूप सिंह *बनाम* पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल अपने सचिव आदि के माध्यम से (एस. एस. सनोहावलिया, जे.)

(39) याचिकाकर्ता की ओर से कुछ शिकायत की गई थी कि अगर उसे यह स्थापित करके स्पष्ट अन्याय दिखाना पड़ता है कि चुनाव परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था, तो उस पर भारी बोझ

पड़ेगा। यह

शायद ऐसा हो सकता है लेकिन इसका एक पूर्ण और आधिकारिक उत्तर *पाओकाई हाओकिप के मामले में उनके लॉर्डशिप की स्पष्ट टिप्पणियों द्वारा प्रदान किया जाता है-*

पीठ ने कहा, "इस धारा के तहत चुनाव याचिकाकर्ता को थोड़ा आगे जाना होगा और यह साबित करना होगा कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। उसे यह कैसे साबित करना है, यह इस न्यायालय द्वारा पहले ही कहा जा चुका है और उस परीक्षण को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि वह अपने प्रयास में काफी विफल रहा है और इसलिए, लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून द्वारा रखा गया बोझ बहुत सख्त है; यहां तक कि अगर यह सख्त है, तो इसे लागू करना न्यायालयों का काम है। यह विधायिका पर निर्भर करता है कि वह विचार करे कि क्या इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। अगर बोझ निर्धारित करने का कोई और तरीका है, तो कानून को यह कहना चाहिए, न कि अदालतों को।

उपरोक्त उद्धृत कथन से यह पता चलता है कि रिट क्षेत्राधिकार के बड़े संदर्भ में भी याचिकाकर्ता को स्पष्ट अन्याय स्थापित करना होगा जो उसे कई सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में विधिवत निर्वाचित घोषित 20 उम्मीदवारों को हटाने के लिए रिट देने का हकदार बनाएगा। जो वह नहीं कर पाए हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिट क्षेत्राधिकार में उपाय विवेकाधीन है और ऐसे मामले में जहां याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रकट या भौतिक अन्याय स्थापित नहीं किया गया है, मतदाताओं के फैसले को उलटने और एक महंगे और बोझिल पुनर्मतदान का आदेश देने का कोई वारंट नहीं होगा। उत्तरदाताओं की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बार काउंसिल

चुनाव में प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से भारी श्रम और व्यय शामिल है। समान रूप से इसमें 60 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च और परिश्रम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वास्तव में, इस तरह के चुनाव को परेशान करने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त कारण के बिना, एक उपाय प्रतीत होगा जो शायद बीमारी से भी बदतर है।

(40) याचिकाकर्ता के रास्ते में एक और बाधा है जो स्वतंत्र रूप से उस राहत को रोकती है जिसका वह दावा करता है। प्रतिवादी संख्या 8 और 19 के वकील मोहिंदरजीत सिंह सेठी ने कहा कि किसी भी तरह के अन्याय को साबित करने के अलावा, पूरे चुनाव को रद्द करने और दूसरे पुनर्मतदान की अनुमति देने के याचिकाकर्ता के दावे में वैधानिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन शामिल होगा, जो नियम 3 (के) के संबंध में स्थापित किए गए अस्पष्ट नियम की तुलना में और भी अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट है। रिलायंस को यहां नियम 28 पर रखा गया है जो निम्नलिखित शब्दों में है

> "28. *चुने जाने वाले कोटा वाले उम्मीदवार*: यदि किसी गिनती के अंत में, या किसी बहिष्कृत उम्मीदवार के किसी पार्सल या उप-पार्सल के हस्तांतरण के अंत में, किसी उम्मीदवार को जमा किए गए मतदान पत्रों का मूल्य उस कोटे के बराबर या उससे अधिक है जिसे उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

नियम की भाषा पूर्व-निर्धारित है औरयाचिकाकर्ता की ओर से यह भी नहीं कहा गया था कि यह किसी भी तरह से निर्देशिका है। अब यह आम मामला है कि वर्तमान मामले में चुनाव के लिए कोटा 239 तय किया गया था। संबंधित गिनती में प्रतिवादी संख्या 21 श्री सुरिंदर सिंह को 449 वरीयता वोट प्राप्त करने के लिए पाया गया जो उस कोटे से कहीं अधिक था। नतीजतन उन्हें नियम 28 के तहत विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मूल प्रावधान है, जबकि

नियम 33 जो इसके बाद आता है, केवल प्रक्रियात्मक है जो पंजीकरण और प्रकाशन द्वारा चुनाव के परिणाम को प्रभावी बनाने का प्रावधान करता है। वास्तव में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 21 के निर्वाचित होने की घोषणा के चरण तक चुनाव या मतगणना प्रक्रिया के संचालन में किसी भी खामी या अनियमितता का कोई संकेत नहीं था। यह स्पष्ट है कि कम से कम इस प्रतिवादी का चुनाव बिना किसी कानूनी दोष के था।

(41) इसलिए, याचिकाकर्ता को एक गंभीर बाधा का सामना करना पड़ता है जब वह दावा करता है कि उपरोक्त प्रतिवादी नंबर 21 सहित पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में नोटिस करूंगा कि याचिकाकर्ता का दृढ़ रुख यह रहा है कि वर्तमान चुनाव का पूरा एक अभिन्न अंग है जिसे एक साथ खड़ा होना या गिरना है। उनकी ओर से एक पल के लिए भी दलील नहीं दी गई कि प्रतिवादी संख्या 21 के चुनाव को छोड़ दिया जाए और शेष 19 सीटों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया जाए। बल्कि श्री भागीरथ दास का दृढ़ तर्क यह था कि इस तरह की किसी भी आंशिक राहत में नियमों का उल्लंघन शामिल होगा क्योंकि सभी मतदाताओं को प्रथम वरीयता वोट डालने का दूसरा अवसर दिया जाना चाहिए, जो उनमें से कुछ पहले ही प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में प्रयोग कर चुके हैं। इसलिए, विद्वान वकील ने अपने रुख में स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता को राहत दी जानी है तो प्रतिवादी संख्या 21 का चुनाव भी रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(42) पार्टियों के विपरीत रुख से यह स्पष्ट है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्मतदान का दावा स्वीकार किया जाता है तो यह अनिवार्य रूप से नियम 28 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन होगा, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 21 को बिना किसी कानूनी चूक के विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया है। बड़े पैमाने पर विचार करने पर भी इस तरह की राहत एक पार्टी पर

समान रूप से लागू होगी, जिसके दरवाजे पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता यहां नियम 3 (के) के मामूली उल्लंघन के आधार पर जिस राहत और उपाय का दावा करता है, उसमें दूसरी ओर नियम 28 का स्पष्ट और प्रत्यक्ष उल्लंघन शामिल होगा। रिट कोर्ट को जब हॉबसन की इस पसंद का सामना करना पड़ता है, तो शायद उसे विवेकाधीन राहत देने से इनकार करने से संतोष करना होगा, जिसमें अनिवार्य रूप से एक वैधानिक नियम का उल्लंघन शामिल है। मुझे बहुत संदेह है कि क्या रिट कोर्ट आदेश जारी कर सकता है जो अपने आप में स्पष्ट रूप से विपरीत है, और नियम 28 द्वारा वर्तमान मामले में कानून द्वारा स्पष्ट रूप से संलग्न परिणाम को नकारता है। नतीजतन, इस कारण से भी (पहले से ही देखे गए अन्य लोगों के साथ) कानून की नजर में याचिकाकर्ता या तो उस राहत का हकदार नहीं है जिसका वह दावा करता है, या किसी भी मामले में ऐसी स्थिति का सामना करते हुए अदालत के पास एकमात्र रास्ता बचता है कि वह अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करने से इनकार कर दे, जिसमें अनिवार्य रूप से एक अधिनियमित प्रावधान का उल्लंघन शामिल हो।

(43) मैं अब उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए अंतिम लेकिन निश्चित रूप से कम से कम तर्कों का विज्ञापन कर सकता हूं। यह प्रस्तुत किया गया था कि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इलेक्शन रूल्स, 1968 ने मतदान के वोटों के चोरी होने या किसी अन्य तरीके से अमूर्त होने की अप्रत्याशित आकस्मिकता का प्रावधान नहीं किया था। हालांकि, यह असाधारण नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे व्यापक कानून में भी वर्ष 1966 तक इसी तरह की कमी थी। 1966 के संशोधित अधिनियम 47 द्वारा ही उपरोक्त अधिनियम में धारा 64 (ए) को शामिल किया गया ताकि मतगणना के समय मतपत्रों को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने या छेड़छाड़ करने का प्रावधान किया जा सके। बेशक, यहां

नियम निर्माताओं ने या तो कल्पना की थी, लेकिन किसी भी मामले में इस तरह की आकस्मिकता का प्रावधान नहीं किया था। इसका अंतिम परिणाम यह है कि वर्तमान नियमों में, जिसके साथ हम चिंतित हैं, स्पष्ट रूप से एक कमी है या किसी भी मामले में वे मतदान किए गए वोटों को या तो चोरी, नष्ट या अनधिकृत तरीके से अमूर्त करने के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप हैं। वकील ने कहा कि इस अजीब स्थिति में, रिटर्निंग अधिकारी, जिसे मतगणना और परिणाम की घोषणा का काम सौंपा गया था, वह खोए हुए वोटों को विचार से बाहर करने और उन्हें समाप्त कागजात के रूप में मानने के अलावा किसी अन्य निर्णय पर नहीं पहुंच सका। तर्क यह था कि एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, नियम 3 (के) निकटतम नियम था जिसे स्थिति के लिए आकर्षित किया जा सकता था।

(44) पूर्वोक्त प्रस्तुतीकरण न तो व्यवहार्यता या योग्यता से रहित है। हमें केवल उस स्थिति की कल्पना करनी होगी जिसमें चुनाव के परिणाम को पूरा करने के लिए कानून द्वारा सौंपे गए निर्वाचन अधिकारी को स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में रखा गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम रिटर्निंग अधिकारी को पुनर्मतदान का आदेश देने या शायद उस मामले के लिए किसी अन्य प्राधिकरण को कोई शक्ति नहीं देते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस बिंदु को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला या यहां तक कि इस तरह की शक्ति के लिए एक दूरस्थ सादृश्य रखने वाला कोई प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया जा सकता है। हालांकि, भागीरथ दास ने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी को खोए हुए मतपत्रों को थका हुआ मानने के फैसले पर पहुंचने के बजाय पुनर्मतदान का आदेश देना चाहिए था। प्रतिवादियों की ओर से उनका सही जवाब दिया गया कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता, तो उनकी कार्रवाई को पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से परे और कानून द्वारा अनधिकृत होने का आरोप लगाया जा सकता था। इसी तरह निर्वाचन अधिकारी चुनाव परिणाम को

अधर में नहीं छोड़ सकता था और मतगणना को आगे बढ़ाने से इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह नियमों द्वारा निर्धारित कर्तव्य में समान रूप से विफल होगा। प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील की यह जोरदार दलील है कि अगर वह बीच में चुनाव छोड़ देते हैं तो उम्मीदवार इस मामले में आगे बढ़ने और परिणाम घोषित करने के लिए उनके खिलाफ परमादेश का दावा करने के भी हकदार होंगे।

(45) उपर्युक्त संदर्भ में यह मुद्दा सही ढंग से उठता है कि जहां कानून में कोई कमी है और कानून के आदेश चुप हैं, क्या निर्वाचन अधिकारी मामले का निर्णय लेने के लिए कारणों और तर्कों के निर्देशों का पालन कर सकता है? सहायक मुद्दा यह है कि जहां *वह प्रामाणिक रूप* से कार्य करते हुए एक ऐसे निर्णय पर पहुंचता है जो उचित है (हालांकि कानून के पत्र के सख्त अनुरूप नहीं है) तो क्या इस तरह के निर्णय को रिट अधिकार क्षेत्र में केवल इस कारण से खारिज या रद्द किया जा सकता है कि कानून ने स्थिति के लिए सख्ती से प्रावधान नहीं किया था। मेरे विचार से *ऐसी* स्थिति में प्रामाणिक कार्रवाई और उचित निष्कर्ष के दोहरे मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

(46) अब वर्तमान मामले में, रिटर्निंग ऑफिसर की *प्रमाणिकता* को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई है और वास्तव में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहने के लिए पर्याप्त निष्पक्ष किया है। अन्यथा ये स्वीकृत तथ्यों पर आधारित हैं। जैसे ही यह पता चला कि 42 वोट चोरी हो गए हैं और स्पष्ट रूप से यह पाया गया कि नियमों में ऐसी स्थिति का प्रावधान नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर ने तुरंत मतगणना रोक दी। मतपत्र आदि को उचित और सुरक्षित हिरासत में रखा गया था। वैधानिक प्रावधानों में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिलने पर उन्होंने मामले को निर्णय के लिए राज्य की बार काउंसिल को भेज दिया। यह भी स्वीकार किया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मामले का संज्ञान लिया था, लेकिन

इस मामले में कोई निर्देश जारी करना आवश्यक या वांछनीय नहीं पाया और केवल इस तथ्य को दर्ज किया कि उन्होंने चोरी के संबंध में घटना पर ध्यान दिया था। हालांकि, पुनियाब और हरियाणा राज्य की बार काउंसिल ने मामले पर विचार करने के बाद केवल रिटर्निंग अधिकारी को कानून के अनुसार मतगणना जारी रखने का निर्देश दिया। ऐसी स्थिति में लगभग ढाई महीने बाद 25 अक्टूबर, 1975 को मतगणना फिर से शुरू की गई और निर्वाचन अधिकारी ने तब नियम 3 (के) के तहत वोटों को समाप्त कागजात के रूप में मानने का निर्णय लिया। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि तथ्य इस बात का प्रमाण देते हैं कि *निर्वाचन अधिकारी ने जो कार्रवाई* की है, उसमें उसकी ओर से अधिकतम नेकनीयती बरती गई है।

(47) मैंने पहले भी कहा है कि कानून के सख्त पत्र में खोया हुआ वोट नियम 3 (के) के दायरे में नहीं आता है। फिर भी, निर्वाचन अधिकारी उस अजीब स्थिति में क्या निर्णय ले सकता है जिसमें उसे रखा गया था? उत्तरदाताओं की ओर से इस तर्क में बल और व्यवहार्यता है कि खोए हुए या चोरी किए गए वोट हालांकि कानून के पत्र के भीतर सख्ती से नहीं हैं, कुछ हद तक इसकी भावना के भीतर लाए जा सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपने उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए, कानून स्वयं बहुत बड़ी कल्पनाओं का सहारा लेता है। कानून के दायरे में कल्पना ओं के व्यापक और स्वीकृत सिद्धांत का उल्लेख किए बिना, उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा खोए हुए वोटों को समाप्त हो चुके कागजात के रूप में मानना या उन्हें काल्पनिक मानना शक्ति का एक वैध प्रयोग होगा क्योंकि वैधानिक प्रावधान जो श्रेणी को कवर करने के लिए निकटतम था, अनुपस्थिति में नियम 3 (के) के अलावा कोई अन्य नहीं था। खोए हुए या चोरी हुए वोटों के लिए एक विशिष्ट प्रावधान।

(48) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 64-ए, उप-खंड (2) (बी) से भी एक तर्क लिया गया था, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, 1966 के अंत

में पेश किया गया था। यहां भी मतपत्रों के विनाश, हानि आदि के मामले में, चुनाव आयोग को सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार दिया जाता है जो वह मतगणना को फिर से शुरू करने और पूरा करने के लिए उचित समझे। इन परिसरों में यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह की अप्रत्याशित प्रकृति की स्थितियों में अधिकार क्षेत्र के साथ प्राधिकरण की विवेकाधीन शक्ति अपरिहार्य है और यदि निर्णय नेक नीयत से किया जाता है और ऐसा है जिस पर यथोचित रूप से पहुंचा जा सकता है तो इसे रिट अधिकार क्षेत्र में बाधित नहीं किया जा सकता है, या कम से कम नहीं किया जाना चाहिए।

(49) मैंने पहले भी पाया है कि निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई पूरी तरह से प्रामाणिक थी/ यह भी निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि चोरी किए गए मतपत्रों को थका हुआ मतपत्र मानने का निर्णय एक ऐसा निर्णय है जिसे स्थिति की विशिष्ट परिस्थितियों में यथोचित रूप से किया जा सकता है और हालांकि कानून के सख्त पत्र के भीतर नहीं किया जा सकता है, लेकिन शायद नियम की भावना के भीतर कुछ विस्तार करके लाया जा सकता है। इसलिए, क्या इस तरह की कार्रवाई को रिट कोर्ट द्वारा केवल इसलिए रद्द कर दिया जा सकता है क्योंकि संबंधित नियम इस बिंदु पर चुप हैं और कानून के सख्त पत्र का अनुपालन नहीं किया गया है? निस्संदेह अकेले निर्वाचन अधिकारी के पास मामले का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र था। यहां तक कि अगर उन्होंने निर्णय पर पहुंचने में मामूली गलती की, तो पवित्र नियम यह है कि निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र रखने वाला प्राधिकरण सही या गलत तरीके से ऐसा कर सकता है और रिट कोर्ट इस तरह के फैसले को परेशान करने के लिए अनिच्छुक होगा। इसलिए, उच्चतम स्तर पर निर्वाचन अधिकारी की आक्षेपित कार्रवाई को मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण निर्णय कहा जा सकता है जो रिट प्रदान करने के लिए

138

उपयुक्त मामला नहीं है जैसा कि टी. सी. बसप्पा मामले (सुप्रा) में *आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया* है और यह उनके साथ किसी भी स्पष्ट अन्याय को स्थापित करने के लिए मेरे पहले के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए और भी अधिक है। इस आधार पर भी, इसलिए, याचिकाकर्ता उस राहत का हकदार नहीं है जिसका वह दावा करता है।

(50) श्री भागीरथ दास के संदर्भ में, पहले *आरएम शेषाद्रि* बनाम जी *वसंत पाई और अन्य* (10) का संदर्भ दिया जा सकता है, जिस पर उन्होंने यह तर्क दिया कि एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार आयोजित चुनाव में, परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित दिखाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और एकमात्र उपाय नए सिरे से चुनाव का आदेश देना है। हालांकि, फैसले के करीबी संदर्भ से पता चलता है कि यह मतदाताओं की गाड़ी के लिए वाहनों को किराए पर लेने और खरीदने के भ्रष्ट अभ्यास के आरोपों से जुड़ा एक मामला था, जिसे स्थापित माना गया था और उनके लॉर्डशिप ने आगे कहा कि इस तरह के मतदाता इसमें भागीदारी से मुक्त नहीं थे। जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था, वे विशेष रूप से इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में और विशेष रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 101 के तहत दावे के संबंध में की गई थीं, कि चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया जाए। यह उन परिस्थितियों में था कि उनके लॉर्डशिप ने राय दी थी कि कोई पुनर्मतगणना का आदेश नहीं दिया जा सकता है और न ही चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। मेरे विचार से यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए कोई अधिकार नहीं है कि एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आयोजित चुनाव में, भौतिक परिणाम के प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है या यह कि कई सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में भी पुनर्मतदान का आदेश दिया जाना चाहिए।

(51) वकील ने तब श्याम चंद बसाक *बनाम* ढाका नगर पालिका के अध्यक्ष और अन्य *(11) का हवाला देते* हुए कहा था कि यह प्रतिवादियों को दिखाना था कि नियम 3 (के) के उल्लंघन ने परिणाम को प्रभावित नहीं किया था।

इस मामले में प्रासंगिक टिप्पणियां बंगाल नगरपालिका अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 17 और 17-ए के उल्लंघन के संदर्भ में की गई थीं,

(10) ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 692.

(11) ए.आई.आर. 1920 कलकत्ता, 669.

जिसके तहत मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, जो स्पष्ट रूप से चुनाव की जड़ तक गया था । यह मामला एक नियमित दीवानी मुकदमे की अपील में खंडपीठ के समक्ष आया था। जैसा कि स्पष्ट है, यह मामला संविधान-पूर्व का है और इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार में प्रकट अन्याय की अवधारणाएं और नियम 34 उप-खंड (8) के विशेष प्रावधान, जिन पर मैंने सादृश्य के माध्यम से भरोसा किया है, इस मामले में विचार के लिए नहीं उठे और न ही उठ सकते हैं। नतीजतन, निर्णय पूरी तरह से अलग है।

(52) इस फैसले से अलग होने से पहले मुझे याद दिलाया जाता है कि यह असामान्य नहीं है कि बेंच और बार दोनों ने विभिन्न क़ानूनों में ड्राफ्ट्समैन की त्रुटियों पर आपत्ति जताई है। जैसा कि इस फैसले से स्पष्ट है, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा रूल्स, 1968 में भी कुछ स्पष्ट खामियां हैं और कुछ स्थानों पर कुछ प्रावधानों की भाषा वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है। कानूनी पेशे की रूपरेखा के रूप में गठित परिषद को शायद सलाह दी जाएगी कि वह आम तौर पर इन नियमों पर दोबारा गौर करे और हमारे समक्ष बहस के दौरान सामने आई कमियों को दूर करे।

(53) मैंने उन कई कारणों के बारे में विस्तार से बताया है जो मुझे उस राहत को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं जिसका याचिकाकर्ता दावा करता है। चुनावी मामले में अक्सर मुख्य न्यायाधीश छागला द्वारा *भैरूलाल चुन्नीलाल* बनाम *बॉम्बे राज्य* (12) मामले में पीठ की ओर से बोलने की उक्ति को याद नहीं किया जा सकता है।

> "यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ, उससे चुनाव का परिणाम किसी भी तरह से प्रभावित हुआ है। न्यायालयों को हमेशा स्पष्ट और मजबूत आधारों को छोड़कर चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना

चाहिए।

(12) ए.आई.आर. 1954 बोम 116

होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और एक बार जब लोगों ने अपना वोट दर्ज कर लिया है और अपने प्रतिनिधियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है, तो अदालत को लोगों के फैसले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए क्योंकि कुछ तकनीकी नहीं देखी गई है या कुछ अनियमितता की गई है।

(54) तदनुसार इस रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन इसमें शामिल पेचीदा सवाल को देखते हुए, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के

लिए छोड़ दिया जाता है।

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, मैं सहमत हूं।

जस्टी ए एस बैंस, - मैं भी सहमत हूं।

एन. के. एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा